

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

E-Mail :- dfonnagar-forest-uk@nic.in

Tel./Fax :- 0135 - 2442052

पत्रांक:- 524

/12-1(2), दिनांक, मुनिकीरेती,

05 / 09 / 2017

सेवा में,

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त उत्तराखण्ड
मुनिकीरेती।

विषय :- जनपद टिहरी गढवाल में राज्य योजना के अन्तर्गत डडुआ से सिरौला होते हुये मयाली पाटाखाल मोटर मार्ग का पुल सहित निर्माण प्रस्ताव संख्या-FP/UK/ROAD/21943/2016 हेतु 1.1375 हे० वन भूमि का नैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा उनके पत्र संख्या-3217 / FP/UK/ROAD/21943/2016 दिनांक 25-05-2017 से लगाई गयी आपत्ति के सम्बन्ध में।


महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित के क्रम में बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है। जो आपको संस्तुति सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

क्र० सं०	आपत्ति	निराकरण
1.	डिजिटल मानचित्र में Starting Point and Ending Point अंकित किया जाये।	बिन्दु संख्या-01 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्तावित मार्ग के मानचित्र में क्र०सं० 01 में परियोजना का आरम्भिक बिन्दु तथा क्र०सं० 25 में प्रस्तावित मार्ग का अन्तिम बिन्दु अंकित किया गया है। तथा भाग-01 के पैरा-C के क्रम संख्या (b) iv में अपलोड किया गया है।
2.	भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक 200 मीटर पर Latitude & Longitude अंकित किया जाये।	बिन्दु संख्या-02 के अनुपालन में भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशानुसार जियो रेफरेन्सड मैप तैयार करवाकर प्रत्येक 200 मी० पर Latitude & Longitude अंकित करते हुये मैप भाग-01 के पैरा-C के क्र०सं० (b) iv में अपलोड किया गया है।
3.	प्रपत्र-1 में दिनांक अंकित नहीं है।	बिन्दु संख्या-03 के क्रम में अवगत कराना है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रपत्र-01 में यथास्थान दिनांक अंकित कर दिया गया है। तथा भाग-01 के एडिशनल कॉलम के क्र०सं०-10 के पृष्ठ संख्या-06 में अपलोड किया गया है।
4.	प्रपत्र-2 भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में भरकर संलग्न करे एवं परियोजना का नाम व सभी बिन्दुओं की सूचना भरी जाय।	बिन्दु संख्या-04 के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रपत्र-02 अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा जारी वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव निर्माण मार्गदशिका 2014 से निर्धारित प्रपत्र के अनुसार ही तैयार कर संलग्न किया गया है। तथा सभी बिन्दुओं की सूचना यथास्थान भर दिया गया है। जिसकी प्रति भाग-02 के एडिशनल कॉलम के क्र०सं०...10... में अपलोड की गयी है।
5.	मानचित्र में इन्डेक्स की सूचना भरी जाय।	बिन्दु संख्या-05 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा जी०आई०एस० द्वारा जारी जियो रेफरेन्सड में जिसमें इन्डेक्स भी अंकित है मानचित्र भाग-01 के पैरा-C के क्र०सं० (b) iv में संलग्न किया गया है।
6.	प्रस्तावित मार्ग का जियो रेफरेन्सड मैप संलग्न किया जाय।	बिन्दु संख्या-06 के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्तावित मोटर मार्ग का जियो रेफरेन्सड मैप भाग-1 के पैरा -C के क्र०सं० (b) iv में अपलोड किया गया है।

7.	वन अधिकार अधिनियम 2006 हेतु जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र में तिथि का उल्लेख नहीं है।	बिन्दु संख्या-07 के अनुपालन में अवगत कराना है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 हेतु जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र में तिथि का यथास्थान उल्लेख कर पुनः भाग-01 के पैरा K के क्र0सं0 (i) a में अपलोड कर दिया गया है।
8.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण मानचित्र भारत सरकार के निर्देशानुसार जियो रेफरेन्सड मैप सहित Shp. में DSS से मिलान कर संलग्न किया जाय।	बिन्दु संख्या-08 के अनुपालन में अवगत कराना है कि जियो रेफरेन्सड मैप का DSS से मिलान नोडल कार्यालय स्तर से किया जावेगा।
9.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना प्रमुख वन संरक्षक द्वारा निर्धारित दर के अनुसार बनाकर संलग्न करें।	बिन्दु संख्या-09 के क्रम में क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या-596/3-5-2 दिनांक 19-08-2015 से निर्धारित वसूली वर्ष 2017-18 की दर से तैयार कर भाग-02 के एडिशनल कॉलम के क्रम संख्या-... में अपलोड किया गया है।
10.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा पुनः एन0पी0वी0 का आंकलित कर संलग्न किया जाय।	बिन्दु संख्या-10 के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग माणिकनाथ राजि के लक्ष्मोली कक्ष संख्या-1ब के अन्तर्गत पडता है जिसके सम्पूर्ण कक्ष का औसत घनत्व कर्यायोजना के अनुसार 0.4 से 0.5 के मध्य है। जिस क्रम में संशोधित एन0पी0वी0 आंकलित कर पुनः संलग्न किया जा रहा है। संशोधित एन0पी0वी0 भाग-2 के एडिशनल कॉलम के क्रम संख्या-... में अपलोड की जा रही है। पूर्व में प्रभावित हो रहे वृक्षों की संख्या को आधार मानकर एन0पी0वी0 का आंकलन किया गया था।

भवदीय


(सहूल)

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

संख्या:- / दिनांकित।

प्रतिलिपि :- अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग श्रीनगर मु0-कीर्तिनगर को उनके पत्र संख्या-1639/33 सी दिनांक 14-07-2017 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।


(राहुल)

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।